न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री मोहनलाल पुत्र दीताराम जाति भील, निवासी मूंगथला तहसील आबूरोड 2. श्री पुनाराम पुत्र प्रेमाराम जाति भील, निवासी मूंगथला, तहसील आबूरोड		1. श्री पोंगता पुत्र पन्ना 2. श्री मोती पुत्र ओदा 3. श्री चौपा पुत्र ओदा, 4. ओटाराम पुत्र गोमा जातियान भील, निवासीयान मूंगथला, आबूरोड 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दिवानी

राजस्व वाद संख्या 29/2013

दिनांकः-22-01-2020

निर्णय

यहकि प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दिवानी वादीगण ने उक्त वाद बाबत कृषि भूमि खसरा संख्या 1685, 1686, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722/2 मौजा मूंगथला पटवार क्षेत्र मूंगथला भू-अभिलेख निरीक्षक पत्र मूंगथला तहसील आबूरोड बाबत विभाजन हेतु वाद पेश किया है। उक्त आराजी मृतक नाथा के राजस्व रेकर्ड में अंकित थी मृतक नाथा के तीन पुत्र पन्ना, भीमा एवं वक्ता थे, वक्ता नाऔलाद फौत हुआ था, इसलिये विवादित आराजी में 1/2 भाग पन्ना के वंशजो का एवं 1/2 भाग भीमा के वंशजो का कानूनन होता है। मृतक भीमा ने उक्त आराजी में 2/3 प्राप्त करने के लिये एवं प्रेमा पुत्र भीमा को वक्ता का गोदी पुत्र बताकर तीसरा हिस्सा दिलवाने के लिये दीता पुत्र भीमा ने इस विवादित आराजी में स्वयं का तीसरा हिस्सा बताकर श्रीमान् सहायक कलक्टर आबूपर्वत के समक्ष एक वाद संख्या 57/1995 अनवान दीता बनाम प्रेमा वगैरह वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का जिसमें पोंगता पुत्र पन्ना प्रतिवादी संख्या 01 मोती पुत्र ओदा प्रतिवादी संख्या 02 गेमा पुत्र ओदा प्रतिवादी संख्या 04 का पिता व प्रतिवादी संख्या 03 का भाई के लिये जो दावा गलत वंशावली पेश करने के साथ प्रेमा पुत्र भीमा को वक्ता का गोदी पुत्र न मानते हुए खारिज हुआ है, जिसकी अपील संख्या 22/2001 भी दीता व अन्य बनाम प्रेमा व अन्य की दिनांक 28.01.2002 को श्रीमान अपीलीय अधिकारी, सिरोही द्वारा खारिज की जा चुकी है, इसलिए भी वाद संख्या 57/95 एवं अपील संख्या 22/2001 के अनुसार मृतक पन्ना एवं भीमा के वारिसान का विवादित आराजी में आधा-आधा हिस्सा ही बनता है। उक्त अपील में किसी भी वारिसान बन्धकारी है। उक्त विवादित आराजी निर्णित वाद संख्या 57/1995 के पक्षकारान वादी दीता पुत्र मोहन पुना एवं प्रतिवादी पोंगता वगैरह से वादी द्वारा क्रय हो गई है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में इसी न्यायालय, इन्हीं पक्षकारान के बीच मुकदमा का विचार होकर इस न्यायालय द्वारा वर्णित होकर डिक्री अन्तिम हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उन्हीं पक्षकारान के बीच उसी आराजी के लिये यह वादरिसजुडिकेटा के आज्ञापक प्रावधानों द्वारा बाधित होने से चलने योग्य है।

वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के कथन को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रेमा वक्ता के गोद गया था। उस अनुसार पन्ना भोमा तथा वक्ता के वंशो का 1/3 भाग रेवेन्यु रेकर्ड में काबिज कारित से दर्ज है। वाद संख्या 57/95 दिता बनाम प्रेमा विभाजन का वाद नहीं था एवं खातेदारी की घोषणा का वाद होने से वाद खारिज हुआ है वाद में किसी प्रकार की कोई डिक्री पारित नहीं हुई है एवं रेवेन्यु रेकर्ड को उसी अनुरूप रखा गया जो वर्तमान है वाद एवं अपील का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। तथा मोहनलाल दिता का पुत्र एवं पुना प्रेमाराम का पुत्र होने से भूमि विक्रय की गई है।

वाद संख्या 57/95 के पक्षकार तथा इस वाद के पक्षकार समान नहीं है एवं वाद बिन्दु जो तय किया जाना है वह भी एक (SAME) नहीं है। वाद रेसजुडी केटा से बाधित नहीं है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस पर मनन अनुसार मौजा मूंगथला के खसरा नम्बर 1685, 1686, 1718, से 1722 के संबंध में वाद संख्या 57/95 इसी न्यायालय में विचाराधीन होकर वाद को खारिज किया गया है। वाद को समान तथ्यों के आधार पर वाद को पुनः पेश किया गया है तथा गलत तथ्यों के आधार पर बंटवारा चाहा है। इसमें दोनो वादो में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय एक समान है। जहाँ तक उस विवाद्यक का संबंध है उसे दुबारा दूसरे वाद में नहीं उठाया जा सकता। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना का अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दिवानी स्वीकार योग्य है और वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 परिपोषणिय नही होने से खारीज योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद समान तथ्यों के आधार पर पुनः पेश करने तथा गलत तथ्यों के आधार पर बंटवारा चाहने एवं पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्या 57/95 में तथा उक्त वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय एक समान होने से प्रतिवादी संख्या 2,3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दिवानी स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी 1955 परिपोषनीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तदनुसार डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 22-01-20 को से इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

डिक्री

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री मोहनलाल पुत्र दीताराम जाति भील, निवासी मूंगथला तहसील आबूरोड 2. श्री पुनाराम पुत्र प्रेमाराम जाति भील, निवासी मूंगथला, तहसील आबूरोड		1. श्री पोंगता पुत्र पन्ना 2. श्री मोती पुत्र ओदा 3. श्री चौपा पुत्र ओदा, 4. ओटाराम पुत्र गोमा जातियान भील, निवासीयान मूंगथला, आबूरोड 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दिवानी एवं राजस्व वाद अ. धा. 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 29/2013

दिनांकः 22-01-2020

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जितेन्द्र सुराणा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण श्री दुर्गेश शर्मा मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण द्वारा उक्त वाद समान तथ्यों के आधार पर पुनः पेश करने तथा गलत तथ्यों के आधार पर बंटवारा चाहने एवं पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्या 57/95 में तथा उक्त वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय एक समान होने से प्रतिवादी संख्या 2,3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दिवानी स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी 1955 परिपोषनीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे——×——मुतलिक——×——बाबत् खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह——×——फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक——×——को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/01/20 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.01.24 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: